भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 952**

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक) को दिया गया

**वित्तीय क्षेत्र में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां**

952. श्री रवनीत सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी रिपोर्ट में भारत के वित्तीय क्षेत्र में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रवेश के प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सेवाओं में इन प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रवेश के कारण नियामकों के लिए शासन संबंधी संभावित चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में इन बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के विवेकपूर्ण विनियमन द्वारा पारंपरिक बैंकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

**(क) और (ख):** भारत के वित्तीय क्षेत्र में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रवेश करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की जुलाई 2021 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में बैंकों के साथ समान स्तर पर कार्य करने, परिचालन जोखिम, अत्यधिक बड़े होने के कारण असफल होने के मामले, एकाधिकार व्यापार विरोधी नियमों, साइबर सुरक्षा और आंकड़ों की निजता की चुनौती के संबंध में चिन्ता प्रकट की गई है।

**(ग):** उक्त एफएसआर रिपोर्ट में कुछेक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कभी-कभी अस्पष्ट अति महत्वपूर्ण अभिशासन संरचना के कारण बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का कई विभिन्न (गैर-वित्तीय) व्यवसाय में प्रसार करना भी शामिल है।

**(घ) और (ड.):** उक्त एफएसआर रिपोर्ट में, इस संदर्भ में आरबीआई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के कार्यकलाप और संस्था आधारित विवेकपूर्ण विनियमन के संयोजन से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की परिकल्पना करता है। कार्यकलाप आधारित दृष्टिकोण को धन शोधन निवारण [एएमएल] / आतंकवाद वित्तपोषण पर रोक लगाने [सीएफटी] जैसे क्षेत्रों में पहले से ही लागू किया है।

*****